समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री गोपीराम अग्रवाल, पे0-स्व0 बेनी प्रसाद, ग्राम-बिहारीगंज, थाना-किशुनगंज (वर्तमान-बिहारीगंज), जिला- सहरसा (वर्तमान-मधेपुरा) के नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 56/2780 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-37955 धारित है। इनके पुत्र श्री राजेश कुमार साह, पे0-स्व0 गोपीराम अग्रवाल, सा0-कुश्थन, पो0+थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि पिता- श्री गोपीराम अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 12.06.2015 को हो चुकी है। स्व0 अग्रवाल के नाम पर धारित दो नाली बन्दूक को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति की अपेक्षा की है।

अतः श्री राजेश कुमार साह से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में श्री गोपीराम अग्रवाल, पे0-स्व0 बेनी प्रसाद, ग्राम-बिहारीगंज, थाना-किशुनगंज (वर्तमान- बिहारीगंज), जिला- सहरसा (वर्तमान-मधेपुरा) के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 56/2780 को रद्द किया जाता है तथा उस पर धारित शस्त्र संख्या-37955 को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि मृतक अनुज्ञप्तिधारी का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में करते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 142 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक- 12 /05/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा, श्री राजेश कुमार साह, पे0-स्व0 गोपीराम अग्रवाल, सा0-कुश्थन, पो0+थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/5/2015

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।